

संविधान की प्रस्तावना

“हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 ईस्वी (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं”



Baikunthpur, Chhattisgarh, India
SH 3, Baikunthpur, Chhattisgarh 497335, India
Lat 23.27585°
Long 82.553651°
06/09/21 04:26 PM



GPS Map Camera







दायनालय कक्षा

मूल कर्तव्य

ज्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-
न का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
रा के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें।
नका की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
की सेवा करें।
का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और
। त्यागपूर्ण ढंग से राष्ट्र के सम्मान
के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए
प्रयत्न करें।
खना का विकास करें।
ही और राष्ट्र के विकास के लिए
इसमें योगदान दें।
में से राष्ट्र के विकास के लिए
प्रयत्न करें।
माता-पिता का आदर करें।
परिचित



Baikunthpur, Chhattisgarh, India
SH 3, Baikunthpur, Chhattisgarh 497335, India
Lat 23.275799°
Long 82.553871°
06/09/21 04:34 PM




मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें ।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें ।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें ।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ।
5. भारत के सभी लोगों में समरता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
- 10.(क) माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि यह छह वर्ष से चौदह वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।



GPS Map Camera



Baikunthpur, Chhattisgarh, India

SH 3, Baikunthpur, Chhattisgarh 497335, India

Lat 23.275789°

Long 82.553875°

06/09/21 04:55 PM

समता का अधिकार (समानता का अधिकार)

- अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अद्वय है।**
1. कानून के समक्ष समानता।
 2. जाति, लिंग, धर्म, तथा मूल्यता के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है।
 3. सार्वजनिक शिक्षा में अंतरा की समानता प्राथमिक नगरिक को प्रदान है। वस्तु अंग सरकारी जगहों तो उन कानों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। शिक्षा राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कर है।
 4. इस अनुच्छेद के द्वारा अनुपस्थिता का अंत किया गया है। अनुपस्थिता का उपचार कानों को स. 500 गुणों पर अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया।
 5. इससे द्वारा विद्वित सारकारी द्वारा ही न्यु अर्थात् बच अंत कर दिया गया निर्दिष्ट रूप से न्याय देने को संरक्षण कायम रहे।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- अनुच्छेद (23-24) के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित है -**
1. पान्थ दुरुपयोग और बाधन का निषेध।
 2. कारागारों अदि में 14 वर्ष तक बानकों के निरोधन का निषेध।
 3. किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

- अनुच्छेद (29-30) के अंतर्गत निम्न अधिकार -**
1. किसी भी धर्म के गणकों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने, धारा या विधि बनाए रखने का अधिकार।
 2. अनुसंसंस्कृत-धर्मों को शिक्षा का संरक्षण।
 3. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अनुपस्थान-गणों का अधिकार (4)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

डा. भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार

- (अनुच्छेद 32-35) को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी।
- (7) संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अन्तर् 5 प्रकार के प्रावधान हैं-
1. **धर्म प्रत्यक्षीकरण:** धर्म प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी निरक्षर व्यक्ति को न्यायलय के सामने प्रस्तुत करने जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि निरक्षरता का लक्षण या कारणा मेकान्टनी या संगीतक न हो तो न्यायलय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।
 2. **पारदर्शक:** यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायलय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।

स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद (16-22) के अंतर्गत भारतीय गणकों को निम्न अधिकार प्रदान हैं -**
1. शक-स्वातंत्र्य (विषय की स्वतंत्रता) अदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। यह धर्म, मंत्र या धर्मिक करने, अर्थ-अर्थ, शिक्षा करने और कोई भी शैक्षिक-व्यवस्थाएँ स्थापना करने को स्वतंत्रता का अधिकार।
 2. अन्तर्गत के लिए वेतनसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
 3. प्रणय और शैक्षिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
 4. शिक्षा का अधिकार (5)
 5. कुछ राज्यों में निरक्षरता और निषेध में संरक्षण।
- इसमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी शक्तों के साथ विचारपूर्वक संबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शांति और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए जाते हैं।


धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद (25-28) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसमें अनुपस्थान वर्णित को प्रदान है -**
1. अंतःकरण को और धर्म को अंतरा कर में करने, आचरण और धर्म करने को स्वतंत्रता।
 2. धर्मिक धर्मों को धर्मिक (धर्मिक) करने की आजादी प्रदान है -
 3. धार्मिक धर्मों के प्रचार में आजादी को स्वतंत्रता।
 3. किसी विधिगत धर्म को अधिपति के लिए कानों के समक्ष में स्वीकार।
 4. कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपकरण में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

कुछ विधियों की व्याप्ति

- अनुच्छेद (13) के अन्तर्गत कुछ विधियों के अन्तर्गत कुछ विधियों के व्याप्ति का प्रावधान किया गया है -**
1. संस्थाओं अदि के अर्थ में लिए प्रावधान करने वाली विधियों को व्याप्ति।
 2. कुछ अधिनियमों और विधियों का विधिगत-धर्मिक।
 3. कुछ निष्पक्ष कानों को प्रभावित करने वाली विधियों को व्याप्ति।

3. **निष्पक्षता:** यह कोई निष्पक्ष अन्तर्गत आने अधिकार क्षेत्र को अधिपति कर किसी धर्मिक को सुरक्षित करने में हो पर को अन्तर्गत अने ऐसा करने में करने के लिए निष्पक्षता या प्रतिषेध लेना जारी करती है।
4. **अन्तर्गत प्रदान:** यह न्यायलय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पर पर निरक्षर हो गया है कि वह पर उचित कानूनी अधिकार, प्रदान जारी कर व्यक्ति को उस पर पर कार्य करने में रोक देता है।
5. **उत्प्रेषण रिट:** यह कोई निष्पक्ष अन्तर्गत आने अधिकारों धर्म अधिकार के कोई धर्मिक करती है तो न्यायलय उसके समक्ष विचारणीय मामलों को अपने लेना अन्तर्गत इस जो पर को अन्तर्गत या समक्ष अधिकारों को स्वतंत्रता कर देता है।



Baikunthpur, Chhattisgarh, India
SH 3, Baikunthpur, Chhattisgarh 497335, India
Lat 23.275766°
Long 82.553883°
06/09/21 04:54 PM